न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष – आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2246–एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.4.15 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर प्रकरण कमांक 417/अ–6 अ/ 14–15 .

1– विश्वनाथ यादव तनय श्री काशीप्रसाद यादव

2– रामेश्वर यादव तनय श्री काशीप्रसाद यादव

3– प्रेमदास यादव तनय श्री काशीप्रसाद यादव

निवासी धामची तहसील व जिलाछतरपुर म0प्र0

4– शिवकुमार पुत्री श्री काशीप्रसाद यादव पत्नी

गोटीराम निवासी पिडपा तहसील व जिला

छतरपुर म0प्र0 ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती मिथला यादव पुत्री काशीप्रसाद यादव

पत्नी श्री मथुरा यादव निवासी बजरंगगढ़

2– मध्यप्रदेश शासन ——— अनावेदकगण

आवेदकगण के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा

अनावेदकगण के अधिवक्ता श्री ओ0 पी0 शर्मा

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29-10- 2015 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण क0 2246–एक/15 अपर आयुक्त सागर के प्र0क0 अपील 417–अ–6 अ/ 14–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 15.4.15 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है । अपर आयुक्त द्वारा उनके विषयांकित अंतरिम आदेश के माध्यम से उनके समक्ष के अपीलार्थी विश्वनाथ का स्थगन आवेदन निरस्त किया गया है, तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगाने, प्रतिपक्ष को नोटिस जारी करने तथा प्रकरण दर्ज करने का निर्णय अभिलिखित किया गया है । आज दिनांक 19.10.15 को मेरे समक्ष उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं ने उपस्थित होकर तर्क किये ।

प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । गैर निगराकार मिथला काशीप्रसाद की पुत्री है, जिसके पक्ष में तहसीलदार द्वारा नामांतरण नहीं किया गया था। इस के विरूद्ध मिथला द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगराकार विश्वनाथ द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील वर्तमान में विचाराधीन है जिसमें उनके द्वारा विषयांकित अंतरिम आदेश में स्थगन नहीं दिया गया । निगराकार विश्वनाथ के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क समक्ष में किया गया है तथा लिखित में दिया गया है कि यह स्थगन आदेश नहीं दिये जाने से गैर निगराकार पक्ष द्वारा अपने हित में नामांतरण करा लिया जायेगा, जिससे निगरानी करने का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मिथला के हित में निर्णय देना उचित नहीं था जबकि मिथला के पक्ष द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील 8 वर्ष विलंब से प्रस्तुत की गई थी ।

गैर निगराकार मिथला के अधिवक्ता द्वारा समक्ष में तथा लिखित में यह तर्क किया गया है कि इस न्यायालय के समक्ष केवल वह अपर आयुक्त का आदेश विचाराधीन है जिसमें उन्होंने स्थगन देने से इनकार किया तथा प्रकरण को ग्राह्य किया है । उन्होंने तर्क किया कि अपर आयुक्त द्वारा स्थगन नहीं दिये जाने का निर्णय बिल्कुल सही है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्ण विवेचना एवं विचार उपरांत विस्तृत और बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है, जिससे परिशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मिथला के वारिस होने के कारण उसके पक्ष में निर्णय लिया गया है । उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत यह निगरानी समय वाधित है तथा अपर आयुक्त के समक्ष

अभी प्रकरण विचाराधीन है । इन कारणों का हवाला लेते हुये उन्होंने स्थगन आगे नहीं बढाये जाने तथा यह निगरानी प्रकरण खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

मेरे द्वारा नस्ती पर उपलब्ध अभिलेखों एवं अपर आयुक्त तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों के प्रतियों का परिशीलन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा यह मत बना है कि चूंकि अभी अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रकरण विचाराधीन है एवं अभी वहां गुणदोष पर विचार नहीं हुआ है, अतः प्रकरण में इस स्टेज पर राजस्व मण्डल के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपर आयुक्त अपने न्यायालय में प्रचलित अपील की कार्यवाही के दौरान उभय पक्ष को विधि अनुसार सुनवाई का अवसर देते हुये प्रकरण का न्यायपूर्ण निराकरण कर सकते हैं। जहां तक स्थगन हेतु याचना का प्रश्न है, तो इस संबंध में मेरा मानना है कि यह कहना कि एक पक्षकार द्वारा, स्थगन नहीं दिये जाने पर, अपने पक्ष में नामांतरण करा लिया जावेगा, स्थगन हेतु पर्याप्त आधार नहीं है । किसी भी राजस्व न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप जिस भी पक्षकार का अधिकार बनता है, उसके हित में तब नामांतरण कराया जा सकता है । केवल न्यायालयीन वाद दायर करने के आधार पर, जब तक ऐसे वाद में निर्णय न हो, ऐसा वाद दायर करने के पूर्व तक के उद्भूत अधिकारों को हमेशा शिथिल नहीं किया जा सकता । वर्तमान प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण कमांक 96/अपील/अ–6 अ/13–14 में पारित आदेश दिनांक 23.3.15 की प्रति के अवलोकन उपरांत मैं यह पाता हूँ कि उनका (अनुविभागीय अधिकारी का) आदेश प्रथमदृष्ट्या एक बोलता हुआ आदेश है, जिसके संबंध में अपर आयुक्त को उसके तथा प्रकरण के अन्य अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर अपने न्यायालयीन निर्णय लेने चाहियें।

जहां तक इस न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 20.7.15 में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख बुलाये जाने का आदेश लिखे जाने का प्रश्न है, तो उपरोक्त के प्रकाश में इस संबंध में मेरा यह मानना है कि क्योंकि अपर आयुक्त द्वारा उनके न्यायालय में प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है, अतः राजस्व मण्डल में अभिलेख बुलाये जाने से न्यायालयीन

गतिविधियों में अनावश्यक विलंब होगा । अतः मैं अभिलेख बुलाने के पूर्व निर्णय को बदलते हुये, उपलब्ध अभिलेखों एवं तर्को के आधार पर अपना समाधान हो जाने के फलस्वरूप, राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत स्थगन आवेदन को अस्वीकार करते हुये, यह आदेश पारित कर रहा हूँ अपर आयुक्त सागर अपने न्यायालय के विषयांकित प्रकरण में विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुये न्यायोचित आदेश पारित करें । साथ ही चूंकि उनके द्वारा उनके आदेश दिनांक 15.4.15 में स्थगन हेतु आवेदन को अस्वीकार करने का पर्याप्त आधार बताते हुये इस संबंध में (स्थगन के संबंध में) बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है, अतः स्थगन के बिन्दु पर वह बाकायदा बोलता हुआ आदेश अपने न्यायालय से जारी करें, और ऐसा करने के लिये यदि उन्हें पक्षकारों की अधिक सुनवाई करने की आवश्यकता हो तो वह भी करें ।

प्रकरण राजस्व मण्डल से समाप्त किया जाता है ।

पक्षकार सूचित हों ।

दा0द0 हो ।

आशीष श्रीवास्तव
सदस्य
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर